मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

(12)

1370
~~क्रमांक:/1368/2015/दो/सी-2~~ भोपाल, दिनांक: 18 /03/2015

प्रति,

समस्त जिला दंडाधिकारी,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश |

विषय: विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र दो माह में जारी करने संबंधी दिशा निर्देश |

सन्दर्भ: "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" कार्यशाला सम्बंधित मुख्य सचिव कार्यालय पत्रक क्रमांक : CS/GEN/103/2015 दिनांक: 05/03/2015 |

---00---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि दिनांक 04/03/2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" कार्यशाला संपन्न हुई | कार्यशाला में मध्यप्रदेश में व्यापार करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओ को सरल एवं कम समयावधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया |

इस सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में गृह विभाग द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जिला दंडाधिकारी द्वारा लाइसेंस अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये नियम में निर्धारित समय सीमा छः (6) माह से कम कर, दो (2) माह किये जाने के सम्बंध में मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है | अतः विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत प्रक्रियाओ को कम समयावधि में सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करें:-

-2-

13

क्र.	प्रक्रिया	सम्बंधित अधिकारी	निर्धारित समय सीमा
1	पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं सुरक्षा संबंधी प्रतिवेदन	पुलिस अधीक्षक	30 दिवस
2	जमीन संबंधी साईट रिपोर्ट/निर्धारित प्रपत्र में जमीन संबंधी प्रतिवेदन	तहसीलदार	15 दिवस
3	जिले के किसी भी विभाग जैसे वन या श्रम या उद्योग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एनओसी/अभिमत	सम्बंधित विभाग प्रमुख	15 दिवस
4	जन साधारण से आपत्तियो का आमंत्रण	जिला दंडाधिकारी / कलेक्टर	30 दिवस
5	जन साधारण से प्राप्त आपत्तियो का निराकरण	जिला दंडाधिकारी / कलेक्टर	10 दिवस
6	जिला दंडाधिकारी/ कलेक्टर द्वारा समस्त रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत निर्णय	जिला दंडाधिकारी / कलेक्टर	20 दिवस

उपर्युक्त बिन्दुओ में से क्रमशः 1 से 4 के अंतर्गत प्रक्रियाओ को समानांतर रूप से संपन्न की जाए तथा उपरोक्त समस्त बिन्दुओ का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाकर लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना कृपया सुनिश्चित करें।

- उपरोक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव शील होगा।

17/3/15

(डी. पी. गुप्ता)
सचिव
मध्यप्रदेशशासन, गृहविभाग

क्रमांक: /1368/2015/दो/सी -2 भोपाल, दिनांक: /03/2015

प्रतिलिपि- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. |
2. प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग म.प्र. |
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग म.प्र. |
4. समस्त पुलिस निदेशक म.प्र. |
5. समस्त संभागायुक्त म.प्र. |
6. पुलिस मुख्यालय म.प्र. |

सचिव
मध्यप्रदेशशासन, गृहविभाग